(भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड-3, उप खण्ड (ii) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
इस्पात मंत्रालय
नई दिल्ली

आदेश

का. आ. ----- (अ.).– भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 17 के साथ पठित धारा 16 तथा धारा 25 की उप-धारा (3) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय सरकार यह मत रखते हुए कि सार्वजनिक हित में ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है और ब्यूरो से परामर्श करने के पश्चात, निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ होना**– (1) इस आदेश को इस्पात और इस्पात उत्पाद (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2024 कहा जाएगा।
(2) यह आदेश शासकीय राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगा।

2. **अनुप्रयोग**- यह आदेश अनुसूची 1 के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट इस्पात और इस्पात उत्पादों पर लागू होगा लेकिन यह स्वदेश में विनिर्मित ऐसे इस्पात और इस्पात उत्पादों पर लागू नहीं होगा, जो निर्यात के लिए हैं और जो विदेशी क्रेता द्वारा अपेक्षित किसी अन्य विनिर्देशन के अनुरूप हैं।

3. **मानकों की अनुरूपता**– (क) अनुसूची 1 के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक इस्पात और इस्पात उत्पाद उक्त अनुसूची के कॉलम (5) में विनिर्दिष्ट तिथियों से उक्त अनुसूची के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट संबंधित भारतीय मानकों के अनुरूप होगा।
(ख) अनुसूची 1 के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक इस्पात और इस्पात उत्पाद के मामले मे प्रत्येक कंसाइनमेंट के साथ भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) से प्रमाणित विनिर्माता द्वारा जारी मानक चिन्ह युक्त जांच प्रमाण-पत्र के साथ होना चाहिए।

4. **मानक चिन्ह का अनिवार्य उपयोग**– अनुसूची 1 के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक इस्पात और इस्पात उत्पाद पर भारतीय मानक ब्यूरो (अनुरूपता आकलन) विनियम, 2018 की अनुसूची- II की योजना-I के अनुसार ब्यूरो से लाइसेंस के तहत मानक चिह्न होना चाहिए।
(2) विनिर्दिष्ट मानकों के अनुरूप नहीं पाए जाने वाले निम्न स्तरीय अथवा दोषपूर्ण इस्पात एवं इस्पात उत्पादों का स्क्रैप के रूप में इस प्रकार निपटान किया जाएगा जिससे भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 17 की उप-धारा (1) के खंड (ख) के प्रावधानों का उल्लंघन न हो।

5. **प्रमाणन और प्रवर्त्तन प्राधिकारी -** भारतीय मानक ब्यूरो इस आदेश में विनिर्दिष्ट इस्पात और इस्पात उत्पादों, वस्तु एवं सामग्रियों के संबंध में प्रमाणन एवं प्रवर्त्तन प्राधिकारी होगा।

6. **उल्लंघन के लिए सजा**-जो भी व्यक्ति इस आदेश के किसी प्रावधान का उल्लंघन करेगा, उसे भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 29 के अंतर्गत दण्ड दिया जाएगा।

7. **भारतीय मानकों में संशोधन अथवा सुधार प्रवृत्त होने की तिथि**- यदि अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट किसी भी भारतीय मानक में भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा कोई संशोधन अथवा सुधार किया जाता है, तो इस तरह के संशोधन अथवा सुधार पर यह आदेश ब्यूरो द्वारा इस संबंध में अधिसूचित की गई तिथि से प्रभावी होगा।

अनुसूची 1

क्र. सं.	भारतीय मानक		आईटीसी (एचएस) कोड			कार्यान्वयन की तिथि
	आईएस संख्या	आईएस शीर्षक				
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)
1.	आईएस 18316: 2023	अर्ध/पूरी तरह से प्रसंस्कृत नॉन ग्रेन ओरियेटेंड इलेक्ट्रिकल स्टील या पूरी तरह से प्रसंस्कृत ग्रेन आरियेटेंड इलेक्ट्रिकल स्टील के प्रसंस्करण के लिए हॉट रोल्ड और कोल्ड रोल्ड स्टील स्ट्रिप्स	72251100 72251910 72251920	72251990 72261100 72261910	72261920 72261990	निर्णय लिया जाना है
2.	आईएस 18384: 2023	पाइपलाइन परिवहन प्रणालियों के लिए वेल्ड किए गए इस्पात पाइप हेतु हॉट-रोल्ड स्टील स्ट्रिप, शीट और प्लेट्स	72082510 72082520 72082530 72082540 72082590 72082610 72082620 72082630 72082640 72082690 72082710 72082720 72082730 72082740 72082790 72083610 72083620 72083630 72083640 72083690 72083710 72083720 72083730 72083740 72083790 72083810 72083820 72083830 72083840 72083890	72083910 72083920 72083930 72083940 72083990 72085110 72085120 72085130 72085140 72085190 72085210 72085220 72085230 72085240 72085290 72085310 72085320 72085330 72085340 72085390 72085410 72085420 72085430 72085440 72085490 72089000 72111300 72111410 72111420 72111430	72111440 72111450 72111460 72111490 72111910 72111920 72111930 72111940 72111950 72111960 72111990 72119090 72253090 72254011 72254012 72254013 72254019 72254020 72254030 72259090 72269110 72269120 72269130 72269190 72269910 72269920 72269930 72269940 72269951 72269990	निर्णय लिया जाना है
3.	आईएस 18385: 2023	ऑटोमोटिव अनुप्रयोगों के लिए हॉट-डिप गैल्वेनाइज्ड/गैल्वेनील्ड स्टील शीट और स्ट्रिप्स	72104910 72104990 72109090 72123090 72123091	72123099 72125090 72259210 72259290 72259990	72269971 72269973 72269979 72269990	निर्णय लिया जाना है
4.	आईएस 18513: 2023	हॉट-डिप जिंक-एल्यूमिनियम-मैग्नीशियम एलॉय कोटेड स्टील शीट्स, प्लेस्ट्स और स्ट्रिप्स	72104990 72106100 72106900 72109090 72123090	72123099 72125040 72125090 72259290 72259920	72259990 72269979 72269982 72269990	निर्णय लिया जाना है

क्र. सं.	भारतीय मानक		आईटीसी (एचएस) कोड			कार्यान्वयन की तिथि
	आईएस संख्या	आईएस शीर्षक				
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)
5.	आईएस 1469: 1993	फेरोमोलिब्डेनम – विनिर्देशन	72027000	72029990		निर्णय लिया जाना है
6.	आईएस 1466: 1985	फेरो वेनेडियम के लिए विनिर्देशन	72029200	72029990		निर्णय लिया जाना है

नोट : इस अधिसूचना के उद्देश्य से, ''आईटीसी (एचएस) कोड्स'' का तात्पर्य क्रमश: अनुसूची 1 एवं अनुसूची 2 के कॉलम (4) में विनिर्दिष्ट भारतीय व्यापार वर्गीकरण (हार्मोनाइज्ड सिस्टम) कोड्स से है। ये कोड प्रकृति में सामान्य और सांकेतिक हैं तथा इस आदेश की प्रयोज्यता भारतीय मानकों में शामिल इस्पात एवं इस्पात उत्पादों तक सीमित होगी।

[सं. एस-20011/5/2024-तकनीकी]

(अभिजीत नरेंद्र)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार